रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042022-235408 CG-DL-E-28042022-235408

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] No. 307] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2022/वैशाख 8, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2022/VAISAKHA 8, 1944

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

सं. 12/2022-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 321(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "एन, एन' - डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडीमाइड (डीसीसी)" (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदो 29212990, 29241900, 29242990, 29251900, 29252910, 29252990, 29333990 या 29419090 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 06/53/2020-डीजीटीआर, दिनांक 24 फरवरी, 2022, जिसे दिनांक 24 फरवरी, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

2914 GI/2022 (1)

- (i) विषयगत वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई है;
- (ii) संबद्ध वस्तुओं के पाटन ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से धीमा कर दिया है;
- (iii) पाटनरोधी शुल्क न लगाने से स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल और भौतिक प्रभाव पड़ेगा, जबिक पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं या डाउनस्ट्रीम उद्योग या बड़े पैमाने पर जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाले विषय वस्तु, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित हैं, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29212990,	एन, एन' -	चीन	चीन	शेडोंग हुईहाई	493.73	मीट्रिक	अमेरिकी
	29241900,	डाइसाइक्लोहेक्सिल	जनवादी गणराज्य	जनवादी गणराज्य	फार्मास्युटिकल और		टन	डॉलर
	29242990,	कार्बोडीमाइड*	गगराज्य	गगराज्य समेत	केमिकल कंपनी			
	29251900,			कोई भी	लिमिटेड			
	29252910,			देश				
	29252990							
	29333990,							
	29419090							
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी	क्र.सं. 1 में उल्लिखित के अलावा कोई अन्य	826.75	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
				देश				
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी	चीन जनवादी	कोई भी	826.75	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
			गणराज्य के अलावा कोई भी देश	गणराज्य				

- * डीसीसी, डायसाइक्लोहेक्सिलकार्बोडायमाइड, 1, 3-डायसाइक्लोहेक्सिलकार्बोडायमाइड के रूप में भी जाना जाता है।
- 2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अविध (यिद इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/71/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2022

No. 12/2022-Customs (ADD)

- **G.S.R. 321(E).**—Whereas, in the matter of "N, N' Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC)" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 29212990, 29241900, 29242990, 29251900, 29252910, 29252990, 29333990 or 29419090 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification F. No. 06/53/2020-DGTR, dated the 24th February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th February, 2022, has come to the conclusion inter alia that-
 - (i) the product under consideration has been exported to India at a price below normal value, thus resulting in dumping;
 - (ii) the dumping of the subject goods has materially retarded the establishment of domestic industry in India;
 - (iii) the non-imposition of the anti-dumping duty will adversely and materially impact the indigenous production, while imposition of the anti-dumping duty will not materially impact the consumers or the downstream industry or the public at large,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the

currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

S.N.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29212990, 29241900, 29242990, 29251900, 29252910, 29252990, 29333990, 29419090	N, N'- Dicyclohexyl Carbodiimide*	China PR	Any country including China PR	Shandong Huihai Pharmaceutical and Chemical Company Limited	493.73	МТ	USD
2.	- do -	N, N'- Dicyclohexyl Carbodiimide*	China PR	Any country including China PR	Any other than that mentioned at SN 1.	826.75	МТ	USD
3.	- do -	N, N'- Dicyclohexyl Carbodiimide*	Any country other than China PR	China PR	Any	826.75	МТ	USD

^{*}Also known as DCC, Dicyclohexylcarbodiimide, 1, 3-Dicyclohexylcarbodiimide

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/71/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.